उरमूल रूरल हैल्थ रिसर्च एण्ड डवलपमेंट ट्रस्ट,बीकानेर

वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

अप्रेल 2015–मार्च 2016

उरमूल रूरल हैल्थ रिसर्च एण्ड डवलपमेंट ट्रस्ट

उरमूल भवन ,रोडवेज बस स्टेण्ड के पास, बीकानेर

फोन नम्बर : 0151–2523093, **Email. : urmultrust@rediffmail.com**

उरमूल रूरल हैल्थ रिसर्च एण्ड डवलपमेंट ट्रस्ट

क.स.	विषय	पेज नम्बर
1.	चाइल्ड हैल्प लाइन–1098 Child India Foundation	1–3
2.	राजस्थान सामाजिक समावेश कार्यक्रम Sightsavers	4–9
3.	बाल विवाह के विरूद्व अन्तरराष्ट्रीय अभियान का थार मरूस्थल में क्रियान्वयन–UNICEF	10–13
4.	राष्ट्रीय डेयरी विकास परियोजना,NDP-1 NDDB-World Bank	14–15
5.	स्वयं सहायता समूह गठन एवं क्रेडिट लिकेंज परियोजना NABARD	16–17
6.	महिला सुरक्षा एवं सलाह केन्द्र Govt.of Rajasthan	18–19
7.	मॉडल फार्म विकास एवं टिकाऊ खेती प्रशिक्षण कार्यक्रम CAF-Charities Aid Foundation	20
8.	उषा सिलाई स्कूल कार्यक्रम USHA International	21–22
9.	थार मरूस्थल में बाल विवाह रोकने के लिये अभियान GALOBAL Giving	23–26
10.	बाल विवाह के विरूद्व किशोरी बालिकाओं का सशक्तिकरण Catapult	27–28
11.	पशुपालन व महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा रेगिस्तान में स्थाई सामूदायिक विकास परियोजना HEIFER International	29–31

चाइल्ड हैल्प लाइन,1098

परियोजना का कार्यक्षेत्र : बीकानेर जिला
वितीय सहयोग : चाइल्ड इण्डिया फाउण्डेशन
परियोजना अवधी : अप्रेल 2015–मार्च 2016

सहयोगी संस्थाएं
- उरमूल सेतु संस्थान ,लूणकरणसर
- उरमूल सीमान्त समिति ,बज्जू
- उरमूल ज्योति संस्थान ,नोखा

परिचय :

उरमूल ट्रस्ट, बीकानेर द्वारा अगस्त 2011 से बीकानेर जिले के शहरी एवं ग्रामीण अंचलो में अपनी सहयोगी संस्थाओं के साथ मिलकर चाइल्ड लाइन 1098 का संचालन किया जा रहा है। चाइल्ड लाइन की शुरूआत से ही बीकानेर के शहरी एवं दूरदराज के ग्रामीण क्षेत्रों में चाइल्ड लाइन का प्रचार प्रसार टीम के द्वारा नियमित व लगातार किया जा रहा है। जिससे क्षेत्र के लोगो में इस कार्यक्रम में बारे में जागरूकता आई है और इसका परिणाम है कि हर गुमशदा, पीडित व समस्याग्रस्त बच्चों की जानकारी तुरन्त 1098 पर चाइल्ड लाइन को मिल रही है। इसके साथ साथ बीकानेर जिले के सीमावर्ती क्षेत्रो से बाल विवाह रूकवाने के लिए जन समुदाय व स्वंय बालक–बालिकाओं के संदेश चाइल्ड लाइन को प्राप्त होने लगे है। इस प्रकार से चाइल्ड लाइन की टीम बीकानेर जिले में पूर्ण सक्रियता के साथ कार्य कर रही है।

मुख्य उद्देश्य :

- किसी भी पीडित बच्चे व जन समुदाय के द्वारा दी गई सूचना को प्राप्त कर कम से कम समय में बच्चें तक पहुंचना और उसकी सहायता करना।
- समस्याग्रस्त व असामाजिक गतिविधियो में लिप्त बच्चों का मार्गदर्शन व सहयोग करना तथा सलाह देना।
- चाइल्डलाइन निःशुल्क फोन सेवा 1098 का प्रचार–प्रसार करना।
- बाल मजदूर, संरक्षण और देखभाल के लिए जरूरत मंद बच्चों की पहचान करना व इसकी सूचना समवर्गी विभागो को देना।
- बच्चों के लिए काम कर रहे विभागो से समन्वयन स्थापित करना।
- बाल मजदूरी में लिप्त बच्चों को मुक्त करवाना।
- समस्याग्रस्त, पीडित और शोषण के शिकार बच्चों को मुक्त करवाना व समवर्गी विभागो के सहयोग से पुर्नवासित करवाना तथा निरंतर उनका फॉलोअप करना।
- जरूरत मंद बच्चों को सरकार के द्वारा संचालित सेवाओं से जोडकर लाभान्वित करवाना।
- दर्ज किये गये प्रत्येक मामले का तत्काल फॉलोअप करना।
- चाइल्डलाइन में स्वैच्छिक सेवा देना वाले व्यस्क/विद्यार्थीयों को साथ जोड़ना।
- प्रत्येक बच्चें को आदर एवं आत्म सम्मान देना व दिलवाना।

1098 पर प्राप्त कॉल का विवरण :

केस प्रकार	अप्रेल 2015–मार्च 2016	
1. हस्तक्षेप/सहायता	**संख्या**	**कुल**
चिकित्सकीय सहायता	59	59
आश्रय	01	01
पुनर्वास	03	03
शोषण से रक्षा	170	170
मृत्यु सम्बधित	00	00
स्पॉनसरशिप	367	367
2. गुमशुदा बच्चो के मामले	-	-
लापता बच्चें	41	41
बच्चों के परिजनो द्वारा मांगी गई सहायता	25	25
3. भावनात्मक सहायता एवं मार्गदर्शन	100	100
कुल 1 से 3 तक	**766**	**766**
4. अन्य प्रकार	-	-
5. सूचना	00	00
सूचना व अन्य प्रकार की सेवाओं के लिए	1130	1130
चाइल्डलाइन के बारे में जानकारी	37	37
प्रशासनिक कॉल	55	55
कुल – 3 से 5 तक	**1942**	**1942**

दर्ज मामलो का विवरण :

माह अप्रेल 2015 से मार्च 2016 तक चाल्इडलाइन में कुल 839 मामले दर्ज हुए जिस मे से 817 मामलो का निस्तारण किया जा चुका है। अभी केवल 22 मामले शेष है जिनका का फॉलोअप जारी है।

केस प्रकार	अप्रेल 2015–मार्च 2016	
1. हस्तक्षेप/सहायता	**संख्या**	**कुल**
चिकित्सकीय सहायता	01	01
आश्रय	01	01
पुनर्वास	00	00
शोषण से रक्षा	06	06
मृत्यु सम्बधित	00	00
स्पॉनसरषिप	34	34
2. गुमशुदा बच्चो के मामले		
लापता बच्चें	00	00
बच्चो के परिजनो द्वारा मांगी गई सहायता	01	01
3. भावनात्मक सहायता एवं मार्गदर्शन	01	01

गुमशुदा मामलो का विवरण : माह अप्रेल 2015 से मार्च 2016 तक चाइल्डलाइन द्वारा बाल कल्याण समिति के माध्यम से 29 गुमशुदा बालक–बालिकाओं को आश्रय दिलवाया गया व उनके परिजनो से मिलवाया गया। विवरण निम्न प्रकार से है :

क. सं.	**आश्रय दिलवाने की अवधी**	**बालक/बालिकाओं की संख्या**		
		बालक	बालिका	कुल
1.	अप्रेल 2015–31 मार्च 2016	16	13	29
कुल		**16**	**13**	**29**

पुर्नवास विवरण : माह अप्रेल 2015 से मार्च 2016 तक स्थानीय किशोर गृह एवं नारी निकेतन में आश्रय पाएं बालक–बालिकाओं का पुर्नवास चाइल्ड लाइन के सहयोग से करवाया गया जिसका विवरण निम्न प्रकार से है :

ब्लॉक/क्षेत्र	अस्थाई आश्रय		अस्थाई आश्रय		**अस्थाई आश्रय** अप्रेल 2015–मार्च 2016		
जिला बीकानेर/शहरी क्षेत्र	बालक	बालिका	बालक	बालिका	बालक	बालिका	कुल
	10	08	0	0	**08**	**03**	**11**

आउटरीच गतिविधियां :

माह अप्रेल 2015 से मार्च 2016 तक कुल 240 आटरीच गतिविधियो का संचालन किया गया जिसमें विद्यालय, अस्पताल, रेलवे स्टेशन,बस अड्डे, विभागिय अभियान कैम्प एवं जिले के अन्य सार्वजनिक स्थल शामिल है जिसका विवरण इस प्रकार से है :

ब्लॉक/क्षेत्र	**अप्रेल 2015–मार्च 2016**	**कुल**
जिला बीकानेर/शहरी क्षेत्र	240	**240**

बैठक गतिविधियां :

संस्थान	**अप्रेल 2015–मार्च 2016**	
	साप्ताहिक	**मासिक**
कोलेब	62	62
बाल कल्याण समिति	4	42
किशोर आश्रय गृह	28	28
नारी निकेतन बालिका गृह	00	00
जिला बाल संरक्षण ईकाइ बैठक	08	08

राजस्थान सामाजिक समावेश कार्यक्रम

परियोजना का कार्यक्षेत्र : ब्लांक, बीकानेर, श्रीडूंगरगढ, कोलायत, लूणकरणसर एवं नोखा

वितीय सहयोग : साईटसेवर्स इन्टरनेशनल

कार्यक्रम प्रारम्भ : अगस्त 2014

प्रतिवेदन अवधि : अप्रेल 2015–मार्च 2016

कार्यक्रम के प्रमुख उद्देश्य

- विकलोगो को आजीविका से जोडकर सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाना।
- विकलांग अधिकार मंच का सशक्तिकरण।
- क्षेत्र में विकलांगो के अनुकुल वातारण तैयार एवं स्थापित करना।

कार्यक्रम के सब–उद्देश्य :

- प्रचार प्रसार सामग्री व समुदाय के साथ बैठको के माध्यम से स्थानीय जन समुदाय को विकलांगो के प्रति संवेदनशील बनाना।
- दृष्टिबाधित ,अल्पदृष्टि एवं अन्य विकलांग लोगो को सरकारी एवं गैर सरकारी सुविधाओं से जोडकर लाभान्वित करवाना ।
- स्वयं सहायता समूह गठन एवं प्रशिक्षण के माध्यम से विकलांगो का सशक्तिकरण करना।
- विश्व दृष्टि दिवस ,विकलांग दिवस एवं अन्य महत्वपूर्ण दिवसो पर आयोजन करके लोगो को जानकारी देना एवं संवेदनशील बनाना।
- प्रशिक्षणों का आयोजन एवं संचालन (स्टाफ ,समुदाय के जागरूक लोगो, सरकारी व गैर सरकारी स्टेक होल्डरस्, जिला विकलांग अधिकार मंच एवं पंचायतीराज जनप्रतिनिधियों इत्यादि) के लिए ।
- विकालांगो को समाज कीं मुख्यधारा में जोडने हेतु प्रयास ।
- विकलांगो का सामाजिक एवं आर्थिक पुर्नवास ।
- विकलागो को जिला विकलांग अधिकार मंच से जोडना।
- क्षेत्र में विकलागों के लिए रोजगार के उपयुक्त अवसरों को खोजना।
- विकलांगो के लिए रोजगार परक कार्यो की उपलब्धता के लिए प्रयास व पैरवी करना।
- विकलागो के कौशल विकास हेतु सरकारी प्रशिक्षणों से जोडना।
- विकलागों की व्यवसायिक दक्षता व कौशल बढाना।

जिले के 5 ब्लॉक में कुल चिन्हित विकलांगो की संख्या :

क.स.	विवरण	लाभान्वितों की संख्या		
		पुरूष	महिला	कुल
1.	दृष्टिहीन	274	157	431
2.	अल्पदृष्टि	201	65	266
3.	लोकोमोटर	3842	1490	5332
4.	एम.आर.	500	212	712
5.	सी.पी.	79	34	113
6.	डैफ / डम / एच.आई.	424	192	616
7.	मल्टी डिसऐबल	187	100	287
8.	अन्य	03	01	04
कुल		**5510**	**2251**	**7761**

जागरूकता कार्यकमों का आयोजन :

क.स.	जिले का नाम	ब्लॉक संख्या	कार्यकम संख्या	लाभार्थी		
				पुरूष	महिला	कुल
1.	बीकानेर	05	08	3250	1980	5230
कुल		**05**	**08**	**3250**	**1980**	**5230**

समुदाय के साथ बैठको का आयोजन :

क.स.	जिले का नाम	ब्लॉक संख्या	बैठक संख्या	लाभार्थी		
				पुरूष	महिला	कुल
1.	बीकानेर	05	327	10692	4584	15276
कुल		**05**	**327**	**10692**	**4584**	**15276**

जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजन :

क.स.	जिले का नाम	ब्लॉक संख्या	बैठक संख्या	लाभार्थी		
				पुरूष	महिला	कुल
1.	बीकानेर	05	116	1005	405	1410
कुल		**05**	**116**	**1005**	**405**	**1410**

आर्थिक पुर्नवास/आजीविका से जोडे गये दिव्यांगजनों का विवरण :

क.स.	जिले का नाम	ब्लॉक संख्या	आजीविका से जोडे गये विकलांगों की संख्या			विशेष विवरण
			पुरूष	महिला	कुल	
1.	बीकानेर	05	44	06	50	आजीविका से जोडने के तहत विकलांगजनों को किराणा व जनरल स्टोर, मनिहारी दुकान, आटा चक्की, सिलाई कार्य इलेक्ट्रीशियन का कार्य कृषि कार्य एवं पशुपालन कार्य के लिए प्रशिक्षित करके कार्य शुरू करवाया गया है और नियमित रूप से कार्य कर रहे है।
कुल		**05**	**44**	**06**	**50**	

विकलांग मंच की ब्लॉक स्तरीय बैठकों का विवरण :

क.स.	जिले का नाम	ब्लॉक संख्या	बैठक संख्या	सम्भागियों की संख्या		
				पुरूष	महिला	योग
1.	बीकानेर	05	71	930	241	1171
कुल		**05**	**71**	**930**	**241**	**1171**

विकलांग मंच की जिला स्तरीय बैठकों का विवरण :

क.स.	जिले का नाम	ब्लॉक संख्या	बैठक संख्या	सम्भागियों की संख्या		
				पुरूष	महिला	योग
1.	बीकानेर	05	06	107	51	158
कुल		**05**	**06**	**107**	**51**	**158**

विश्व विकलांग दिवस कार्यक्रम का आयोजन :

क.स.	जिले का नाम	ब्लॉक संख्या	आयोजित कार्यक्रम संख्या	सम्भागियों की संख्या		
				पुरूष	महिला	योग
1.	बीकानेर	05	05	233	39	272
कुल		**05**	**05**	**233**	**39**	**272**

परियोजना के तहत आयोजित कार्यकर्ता प्रशिक्षण विवरण:

क.स.	प्रशिक्षण स्थल	प्रशिक्षण का मुख्य विषय	सम्भागी संख्या
1.	आस्था संस्थान, उदयपुर	आजीविका मैपिग	06
2.	मीरा होटल, चितौडगढ	आई.ई.सी.मैटेरियल निर्माण	02
3.	बिश्नोई धर्मशाला, बीकानेर	आजीविका मैपिग	16
4.	राईसेम, जयपुर	एक्सेसेबल ऑडिट	07
5.	भोपाल	एक्सेसेबल ऑडिट	02
कुल			**33**

परियोजना के तहत आयोजित कौशल विकास प्रशिक्षणों का विवरण :

क.स.	प्रशिक्षण स्थान व दिनांक	प्रशिक्षण का मुख्य विषय	सम्भागी संख्या		
			पुरूष	महिला	योग
1.	रमन आई.टी.आई.कॉलेज, श्रीडूंगर	10 दिवसीय घरेलू बिजली उपकरण मरम्मत प्रशिक्षण	20	00	20
2.	रमन आई.टी.आई.कॉलेज, श्रीडूंगरग	07 दिवसीय प्लम्बर प्रशिक्षण	20	00	20
3.	श्री वीा तेजा मन्दिर, श्रीडूंगरगढ	03 दिवसीय उन्नत पशु प्रबन्धन प्रशिक्षण	99	08	107
कुल			**139**	**08**	**147**

स्वंय सहायता समूहों का विवरण :

क.स.	विकासखण्ड का नाम	समूह संख्यां	कुल सदस्य संख्या			समूह में विकलांग सदस्य संख्या		
			पुरूष	महिला	कुल	पुरूष	महिला	कुल
1.	श्रीडूंगरगढ	11	63	07	70	50	07	57
2.	बीकानेर	09	32	31	63	32	16	48
3.	लूणकरणसर	11	46	10	56	46	10	56
4.	कोलायत	04	16	04	20	16	04	20
5.	नोखा	09	41	06	47	41	06	47
कुल		**44**	**198**	**58**	**256**	**185**	**43**	**228**

स्वंय सहायता समूहों के लिए आयोजित प्रशिक्षणों का विवरण :

क. स.	प्रशिक्षण का नाम	आयोजित प्रशिक्षण संख्या	सम्भागियों की संख्या		
			पुरूष	महिला	योग
1.	समूह प्रबन्धन एवं नेतृत्व विकास	01	54	32	86
कुल		**01**	**54**	**32**	**86**

जिला विकलांग अधिकार मंच के लिए आयोजित प्रशिक्षणों का विवरण :

क.स.	प्रशिक्षण का नाम	आयोजित प्रशिक्षण संख्या	सम्भागियों की संख्या		
			पुरूष	महिला	योग
1.	नेतृत्व विकास प्रशिक्षण	01	55	08	63
2.	अधिनियम, कानून एवं पैरवी प्रशिक्षण	01	04	01	05
3.	व्यवसायिक योजना निमार्ण प्रशिक्षण	01	04	01	05
4.	होटल ज्योति, बीकानेर	एस.डी.जी. 2015	14	07	21
कुल		**03**	**77**	**17**	**94**

सरकारी सेवाओं से जोडे गये लाभार्थियों का विवरण :अप्रेल 2015–मार्च 2016

क.स.	विवरण	लाभान्वितों की संख्या		
		पुरूष	महिला	कुल
1.	मेडिकल प्रमाण पत्र	74	26	100
2.	रेल पास	29	10	39
3.	बस पास	97	42	139
4.	पेन्शन	146	57	203
5.	मुख्यमंत्री स्व–रोजगार योजना	79	12	91
6.	सहायक उपकरण–ट्राई साईकिल, व्हील चेयर, वैशाखी, हियरिंग ऐड, कृत्रिम हाथ पैर व अन्य	155	45	200
7.	मोटराईज्ड ट्राई साईकिल	20	05	25
8.	पालनहार योजना	58	16	74
9.	नरेगा	89	34	123
10.	प्रधानमंत्री आवास योजना	08	01	09
11.	विकलाग विवाह सहायता	02	00	02
12.	कौशल विकास प्रशिक्षण के लिए चिन्हित लोगो की संख्या	172	50	222
13.	कौशल विकास प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले लोगो की संख्या	119	22	141
14.	आजीविका से जोडने हेतु चिन्हित किये गये लोगो की संख्यां	150	70	220
15.	सरकारी योजनाओं के माध्यम से आर्थिक पुर्नवास/आजीविका से जोडा	101	20	121
16.	स्वयं सहायता समूह संख्या	42	02	44
17.	स्वयं सहायता समूह बैंक खाता संख्या	28	01	29
18.	स्वंय सहायता समूह के सदस्यों के व्यक्तिगत खाता संख्या	78	26	104
19.	सर्वशिक्षा अभियान के सहयोग से बी.एल.वी. एसेसमेंट शिविर में उपकरण हेतु बच्चों का चिन्हिकरण किया गया	62	08	70
20.	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के सहयोग से उपकराण वितरण हेतु विकलांगजनों का चिन्हिकरण किया गया	145	20	165

राज्य स्तरीय स्टेक होल्डरस् के साथ कार्यशाला का आयोजन :

श्री धन्नाराम पुरोहित, आयुक्त, विशेष योग्यजन, जयपुर की अध्यक्षता में एक दिवसीय राज्य स्तरीय स्टेक होल्उरस् कार्यशाला का आयोजन 10 नवम्बर 2016 को जयपुर में किया गया। इस कार्यशाला में विभिन्न सरकारी विभागों, गैर सरकारी संस्थाओं एवं जिला विकलांग अधिकार मंच से जुडे 42 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। जिस में 06 महिलाएं शामिल थी। इस कार्यशाला का मुख्य उददेश्य आजीविका मैपिग के तहत राजस्थान के 5 जिलों यथा बीकानेर, चितौडगढ, सिरोही, उदयपुर एवं डूंगरपुर किये गये सर्वे रिर्पोट एवं सर्वे फाइन्डिग को शेयर करना एवं सभी स्टेक होल्डरस् को सहयोग के लिए संवेदनशील बनाना। इस

कार्यशाला के समापन अवसर पर सम्बोधित करते हुएं आयुक्त महोदय ने सभी सम्भागियों को विकलांगजनों के लिए बिना किसी भेदभाव के प्राथमिकता के साथ प्रभावी एवं परिणाम जनक कार्य करने के लिए निर्देशित करते हुएं कहा कि आज भी इस वर्ग के लिए सामाजिक एवं आर्थिक पुर्नवास को लेकर कार्य करने की अति आवश्यकता है। हम सभी मिलकर इस वर्ग को सशक्त एवं मजबूत बनाने के लिए प्रभावी कार्य करेगे तभी यह वर्ग प्रगति की ओर बढ सकेगा।

विकलांगों के लिए निर्धारित 3 प्रतिशत आरक्षण व्यवस्था को लेकर कार्यशाला का आयोजन :

श्री हरफूल पंकज, उपायुक्त, विशेष योग्यजन, जयपुर की अध्यक्षता में विकलांगो के लिए निर्धारित 3 प्रतिशत आरक्षण व्यवस्था को लेकर राज्य स्तरीय एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन 29 दिसम्बर 2016 को जयपुर में किया गया। इस कार्यशाला में 35 लोगो ने भाग लिया। जिस में 04 महिलाएं शामिल थी। इस कार्यशाला का मुख्य उददे्श्य विकलांगो के लिए निर्धारित 3 प्रतिशत आरक्षण को सरकार के द्वारा संचालित सभी विकास एवं गरीबी उन्नमूलन की योजनाओं में लागू करवाना सुनिश्चित किया जाना था। इस कार्यशाला में विकास एवं गरीबी उन्नमूलन से सम्बन्धित योजना के तहत मिलने वाले 3 प्रतिशत आरक्षण को लेकर बीकानेर एवं चितौडगढ जिले का प्रस्तुतीकरण किया। जिसमें पाया कि किसी भी विकास एवं गरीबी उन्नमूलन की योजना के तहत विकलांगों के लिए निर्धारित 3 प्रतिशत आरक्षण व्यवस्था की पालना सुनिश्चित करने का सरकार के द्वारा कोई प्रयास नहीं किया गया।

इस कार्यशाला के बाद विकलांगो के लिए 3 प्रतिशत आरक्षण व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए आयुक्त, विशेष योग्यजन, जयपुर के प्रयासों से सरकार के द्वारा संचालित '' मनरेगा योजना '' के तहत सभी विकलांगों को उनकी क्षमता के अनुसार रोजगार प्रदान करने के लिए राज्य सरकार के ग्रामीण विकास विभाग, जयपुर, राजस्थान के द्वारा सभी जिला कलेक्टर को '' मनरेगा योजना '' के तहत विकलांगों को रोजगार प्रदान करने के लिए निर्देशित कर, इसे सुनिश्चित करने के लिए पाबन्द किया गया।

जिला विकलांग अधिकार मंच सदस्यों के लिए भ्रमण का आयोजन :

परियोजना के तहत दिनांक 20–28 नवम्बर 2016 तक के लिए साईटसेवर्स के वितीय सहयोग से उडीसा राज्य में संचालित आजीविका संवर्द्वन एवं जिला विकलांग अधिकार मंच सशक्तिकरण के कार्यो को देखने व समझने के लिए जिला विकलांग अधिकार मंच के सदस्यों एवं परियोजना स्टाफ का भ्रमण करवाया गया। जिसके तहत भ्रमण टीम के सदस्यों के द्वारा उडीसा के 2 जिलों यथा गंजाम एवं गजपति जिलों में साईटसेवर्स के द्वारा संचालित सामाजिक एवं आर्थिक पुर्नवास तथा सशक्तिकरण की गतिविधियों का भ्रमण करके दल के द्वारा जाना व समझा गया। इस भ्रमण कार्यक्रम में 14 जिला विकलांग अधिकार मंच सदस्य एवं 02 स्टाफ ने भाग लिया। जिसमें जिला विकलांग अधिकार मंच, बीकानेर से 02 महिलाएं भी शामिल थी।

बाल विवाह के विरूद्व अन्तरराष्ट्रीय अभियान का थार मरूस्थल में क्रियान्वयन
गर्ल्स नोट ब्राईड परियोजना–GIRLS NOT BRIDE

परियोजना का कार्यक्षेत्र : बीकानेर जैसलमेर, जोधपुर

वितीय सहयोग : यूनिसेफ राजस्थान

परियोजना प्रारम्भ : नवम्बर 2014

प्रतिवेदन अवधि : अप्रेल 2015–मार्च 2016

प्रदेश में व्याप्त बाल विवाह जैसी प्रथा को जड़ से समाप्त करने के उद्देश्य से उरमूल ट्रस्ट ,बीकानेर और यूनिसेफ के द्वारा संयुक्त रूप से गर्ल्स नोट ब्राईड परियोजना का संचालन बीकानेर, जोधपुर एवं जैसलमेर जिले में किया जा रहा है।

संस्था के द्वारा. नवम्बर 2014 से गर्ल्स नोट ब्राईड परियोजना का संचालन बीकानेर, जैसलमेर एवं जोधपुर जिले के 150 गांवों में किया जा रहा है।

परियोजना का उद्देश्य :`

1. समजा में व्याप्त बाल विवाह प्रथा का रोकथाम व समाप्त करना।
2. जन समुदाय को बाल विवाह से होने वाले नुकसान व असर के बारे में जानकारी देकर जागृति लाना।
3. क्षेत्र के युवक और युवतियों को बाल विवाह प्रथा को समाप्त करने के लिए तैयार करना।
4. क्षेत्र में बाल विवाह हुएं परिवारो का चयन और उनकी केस स्टेडी तैयार करना।
5. क्षेत्र के पंचायती राज संस्थाओं के सदस्यों को बाल विवाह से होने वाले दुष्परिणामों को मिटाने के लिए प्रशिक्षण देना।
6. क्षेत्र की ग्राम स्वास्थ्य एंव स्वच्छता समिति के सदस्यों को बाल विवाह की रोकथाम एवं समाप्त करने के लिए प्रशिक्षण देना।
7. क्षेत्र के धर्मगुरूओं ,समाज के मौजिज व्यक्तियों का बाल विवाह रोकथाम व समाप्त करने हेतु प्रशिक्षण करना।
8. क्षेत्र के गांवो के ग्रामीणों में जागृति लाकर उनकी स्व–प्रेरणा से बाल विवाह मुक्त गांव बनाना।
9. क्षेत्र के युवाओ को संगठित करके उन्हे प्रशिक्षण देना।

परियोजना के तहत आयोजित की गई गतिविधियों का विवरण निम्न प्रकार से है :

युवाओं का जीवन कौशल प्रशिक्षण :

परियोजना क्षेत्र के गांवो के युवक और युवतियों को बाल विवाह से होने वाले नुकसान व असर पर समझ विकसित व मजबुत करने के लिए एक–एक दिवसीय ग्राम स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इन प्रशिक्षणों के दौरान युवाओं के साथ संस्था द्वारा गांवों में किये कार्यो को शेयर किया गया और बाल विवाह रोकने के विभिन्न संभावित प्रयासों एवं सरकार के द्वारा जारी कानूनो एवं अधिनियमों पर चर्चा की गई। प्रशिक्षण में भागीदारी का विवरण निम्न प्रकार से है :

क.स.	जिले का नाम	सम्भागी विवरण		
		महिला	पुरूष	कुल
1.	बीकानेर	980	924	1904
2.	जोधपुर	698	62	760
3.	जैसलमेर	227	206	433
कुल		**1905**	**1192**	**3097**

विद्यालय प्रबंधन समिति सदस्यों का आमुखिकरण:

परियोजना संचालित क्षेत्र में विद्यालय प्रबंधन समिति सदस्यों का बाल विवाह की रोकथाम व समाप्ति के मुद्दो पर आमुखिकरण किया गया। इस आमुखिकरण कार्यक्रम के दौरान समस्त सदस्यों को बाल विवाह से समाज पर पड़ने वाले प्रभावों के बारे समझाने के साथ ही गांव में विद्यालय से छूटे हुएं बच्चों को जोडने के प्रयासों पर चर्चा की गई। आमुखिकरण में भागीदारी का विवरण निम्न प्रकार से है :

क.स.	जिले का नाम	सम्भागी विवरण		
		महिला	पुरूष	कुल
1.	बीकानेर	281	385	666
2.	जोधपुर	00	00	00
3.	जैसलमेर	211	257	468
कुल		**492**	**642**	**1134**

पंचायती राज सदस्यों को आमुखिकरण:

परियोजना के तहत बीकानेर एवं जोधपुर जिले के पंचायती राज सदस्यों संरपंच, उपसरपंच और वार्ड पंचों के लिए एक दिवसीय आमुखिकरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आमुखिकरण कार्यक्रम के दौरान पंचायती राज के सदस्यों को बाल विवाह से नुकसान व समाज पर पडने वाले कुप्रभावों पर चर्चा की गईं। कार्यक्रम के दौरान सदस्यों से अपने गांवं व ग्राम पंचायत को बाल विवाह मुक्त करवाने के संभावित प्रयासों पर भी चर्चा की गई। इस दौरान कार्यक्रम में भाग लेने वाले सदस्यों को अपने–अपने कार्यक्षेत्र में होने वाले बाल विवाह को रोकने के लिए शपथ दिलवाई गई। कार्यक्रम में संभागियों का विवरण निम्न प्रकार से है :

क.स.	जिले का नाम	सम्भागी विवरण		
		महिला	पुरूष	कुल
1.	बीकानेर	201	295	496
2.	जोधपुर	141	87	228
3.	जैसलमेर	20	28	48
कुल		**362**	**410**	**772**

ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति सदस्यों का अभिमुखिकरण:

परियोजना क्षेत्र के बीकानेर के गांवो की ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति सदस्यों के लिए एक दिवसीय आमुखिकरण का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान सदस्यों को बाल विवाह से शारीरिक और मानसिक स्तर पर पडने वाले कुप्रभावों पर चर्चा की गई। इसके साथ ही बाल विवाह से भारत में बढ़ने वाली मातृ मृत्यु और शिशु मृत्यु दर के आंकड़ो पर चर्चा की गई। कार्यक्रम के दौरान सदस्यों को अपने अपने कार्यक्षेत्र में बाल विवाह न होने देने की शपथ दिलवाई गई। कार्यक्रम के संभागियों का विवरण निम्न प्रकार से है :

क.स.	जिले का नाम	सम्भागी
1.	बीकानेर	324
2.	जोधपुर	00
3.	जैसलमेर	349
कुल		**673**

धर्म गुरूओं व समाज के मौजिज व्यक्तियों का आमुखिकरण:

परियोजना क्षेत्र में बाल विवाह की प्रभावी रोकथाम व समाप्ति हेतु धर्म गुरूओं व समाज के मौजिज व्यक्तियों के लिए आमुखिकरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में विभिन्न समुदायों जिसमें बाल विवाह ज्यादा होते है जैसे भील, बेलदार, विश्नोई, मेधवाल, राजपूत, नायक, जाट व अन्य धर्मो के मौजिज व्यक्यिों को आमंत्रित किया गया था। उनके साथ बाल विवाह से समाज व पारिवारिक स्तर पर पड़ने वाले कुप्रभावों पर चर्चा की गई। कार्यक्रम के दौरान बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के विभिन्न प्रावधानों पर भी चर्चा की गई। इस आमुखिकरण में भाग लेने वालो का विवरण निम्न प्रकार से है :

क.स.	जिले का नाम	सम्भागी विवरण		
		महिला	पुरूष	कुल
1.	बीकानेर	137	197	334
2.	जोधपुर	02	43	45
3.	जैसलमेर	12	62	74
कुल		**151**	**302**	**453**

ग्राम स्तरीय युवा प्रशिक्षण :

परियोजना क्षेत्र में बाल विवाह की प्रभावी रोकथाम व आमजन में बाल विवाह के कुप्रभावों के प्रति समझ विकसित करने के लिए ग्राम स्तर पर युवाओं के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों के दौरान युवाओं को बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006, निशुल्क शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2012 एवं पाक्सो अधिनियम के बारे में जानकरी दी गई। कार्यक्रम कें अन्त में सभी संभागियों को बाल विवाह को रोकने हेतु शपथ दिलवाई गई। प्रशिक्षण के संभागियों का विवरण निम्न प्रकार से है :

क.स.	जिले का नाम	सम्भागी विवरण		
		महिला	पुरूष	कुल
1.	बीकानेर	108	301	409
2.	जोधपुर	85	180	265
3.	जैसलमेर	52	102	154
कुल		**245**	**583**	**828**

स्वयं सहायता समुह बैठकों में सहभागिता:

परियोजना संचालित क्षेत्र के बीकानेर जिलें में उरमूल द्वारा बनाये गये स्वयं सहायता समूह की बैठकों में सहभागिता की गई। इन बैठकों के दौरान बाल विवाह की रोकथाम के हेतु चर्चा की गई।

क.स.	जिले का नाम	संभागी
1.	बीकानेर	161
2.	जोधपुर	00
3.	जैसलमेर	00
कुल		**161**

बाल क्लब का गठन :

क.स.	गांवो की संख्या	क्लब संख्या	सदस्य
1.	51	51	781

पालनहार योजनाा से जोडना

क.स.	जिले का नाम	लाभार्थी
1.	बीकानेर	227
2.	जोधपुर	00
3.	जैसलमेर	25
कुल		**252**

अन्तर्राष्ट्रीय बालिका दिवस का आयोजन

बाल विवाह रोकथाम सम्बन्धी परियोजना अन्तर्गत 11 अक्टूबर 2015 वार अन्तर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस पर जानकारी देते हुए बताया कि संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा दिसम्बर 2011 में प्रस्ताव पारित कर प्रत्येक वर्ष 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस घोषित किया गया। पहला अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस वर्ष 11 अक्टूबर 2012 को मनाया गया। तब से प्रत्येक वर्ष यह दिवस उत्साहपूर्वक मनाया जा रहा हैं। आपने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस बालिकाओं के अधिकारों को बढ़ावा देता है तथा समाज में बालक–बालिका की लिंग असमानता को समाप्त कर बालिकाओं के समग्र विकास का संदेष देता हैं।

कार्यक्रम में बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006, बाल विवाह के दुष्परिणाम, बाल विवाह रोकने के लिए सरकारी सूचकों की जानकारी, बाल विवाह करने व बाल विवाह में सम्मिलित होने वालों के लिए सजा का प्रावधान, सूचना के लिए स्थान, बालिका षिक्षा के महत्व, बच्चों के अधिकार, बालिका स्वास्थ्य, पोषण, सरकार द्वारा बालिकाओं के लिए चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं आदि पर विस्तार से जानकारी दी गई।

क.स.	जिले का नाम	सम्भागी
1.	बीकानेर	120
2.	जोधपुर	43
3.	जैसलमेर	91
कुल		**254**

राष्ट्रीय डेयरी विकास परियोजना NDP-1

परियोजना का कार्यक्षेत्र : बीकानेर, श्री गंगानगर, चूरू एवं हनुमानगढ़ जिला

परियोजना प्रारम्भ : अप्रेल 2013

वितीय सहयोग : विश्व बैंक ,भारत सरकार एवं राष्ट्रीय डेयरी विकास योजना–1

सहयोगी संस्थाएं :
- राजस्थान पशुधन विकास बोर्ड
- वेटरनरी कॉलेज
- राजस्थान सहकारी डेयरी संघ, जयपुर
- सीमन स्टेशन, बस्सी

परियोजना प्रतिवेदन अवधि : अप्रेल 2015–मार्च 2016

परियोजना के मुख्य उद्देश्य :

- राठी नस्ल की गायों का संरक्षण एवं बढावा देना।
- कृत्रिम वीर्यदान के लिए पशुपालको व किसाानो को प्रोत्साहित करना।
- प्रति पशु दुग्ध उत्पादन की क्षमता को बढाना।
- उत्कृष्ट राठी नस्ल के सांडो का उत्पादन करना।
- बिना नस्ल की गायों को राठी नस्ल के सांड द्वारा प्रजनन करके नस्ल सुधारना।
- उत्कृष्ट राठी नस्ल के सांडो को सीमन बैंक को उपलब्ध करवाना।
- पषुपालको को न्यूनतम राशि पर राठी नस्ल कृत्रिम गर्भाधान की सेवाएं उपलब्ध करवाना।
- पशुपालको के पशुओं को उतम गुणवता के राठी सॉड के बीज से कृत्रिम गर्भाधान करवाना।
- पशुपालकों के द्वार पर गायों की निःशुल्क जॉच करना व परामर्श देना।
- गांव स्तर पर निःशुल्क पशु स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन।

परियोजना की मुख्य गतिविधियां :

- चयनित व सर्वेकृत गांवो में कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र की स्थापना व कार्यकर्ता का चयन।
- कृत्रिम गर्भाधान के लिय चयनित कार्यकर्ताओं का प्रषिक्षण करवाना।
- कृत्रिम गर्भाधान करना।
- उत्कृष्ट राठी नस्ल की गायों का दुग्ध मापन।
- ग्राम स्तरीय बैठकों का आयोजन।
- बांझपन निवारण षिविरों का आयोजन।
- प्रचार प्रसार षिविरो का आयोजन।
- ग्राम स्तरीय कॉफ रैली का आयोजन।
- कॉफ रियेरिंग स्टेषन की स्थापना एवं संचालन।
- उत्कृष्ट राठी नस्ल के सांड का संकलन एवं परवरिष।
- परियोजना प्रबन्धन समिति की बैठक का आयोजन।
- पर्यवेक्षक के लिए प्रषिक्षणों का आयोजन।

परियोजना की भौतिक प्रगति का विवरण :अप्रेल 2015–मार्च 2016

क.स.	गतिविधि	संख्या
1.	परियोजना में सम्मलित गांव	168
2.	परियोजना के तहत सर्वे किये गये गांव	182
3.	संकुल	01
4.	परियोजना समन्वयक	01
5.	क्षेत्रीय समन्वयक	02
6.	परियोजना में कार्यरत सुपरवाईजर	05
7.	कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र कार्यकर्ता	48
8.	कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र स्थापित व संचालित गांव	48
9.	वर्तमान में कृत्रिम गर्भाधान किये जा रहे गांव	168
10.	प्रतिवेदन अवधी में किये गये कृत्रिम गर्भाधान	15668
11.	प्रतिवेदन अवधी में परियोजना के तहत शामिल पशु	13268
12.	अब तक कृत्रिम गर्भाधान कार्य से प्राप्त राशि	1,30,250
13.	परियोजना में कार्यरत सुपरवाईजर प्रशिक्षण	02
14.	एल.एन. 2 प्रशिक्षित केन्द्र कार्यकर्ता	01
15.	नये कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र कार्यकर्ता प्रशिक्षण	00
16.	कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र कार्यकर्ता रिफ्रेसर प्रशिक्षण	104
17.	बाझपन निवारण शिविरों का आयोजन	152
18.	बाझपन निवारण शिविरों से लाभान्वित पशु	1806
19.	किसानो के साथ कार्यक्रम विस्तार प्रोग्राम	209
20.	किसानो के साथ विस्तार प्रोग्राम से लाभान्वित	2339
21.	कॉफ रेली का आयोजन	53
22.	कॉफ रैली में शामिल होने वाले पशुओं की संख्या	537
23.	गांव स्तरीय समिति गठन	10
24.	कुल दूध मापन किये जा रहे पशुओं की संख्या	10908
25.	कुल दूध मापन	10908
26.	कुल दूध टेस्टिग	6468
27.	स्टाफ मासिक बैठक	68
28.	परियोजना प्रबन्धन समिति बैठक	02
29.	कृत्रिम गर्भाधान किये गये पशुओं की संख्या	15565
30.	कृत्रिम गर्भाधान से प्राप्त पशुओं की संख्या	3513

परियोजना के तहत उपरोक्त विवरण के मुताबिक किये जा रहे कार्य से मुख्य परिणाम :

- कृत्रिम गर्भाधान के प्रति किसानों का जुडाव दिखने लगा है।
- पशुपालकों में प्राकृतिक गर्भाधान के दुष्परिणामों के प्रति जागरूकता बढी है।
- स्थानीय गाय की नस्लों में सुधार होकर राठी नस्ल में वृद्वि हुई है।
- परियोजना से जुडे पशुपालकों के पशुओं में प्रतिदिन दुग्ध उत्पादन में सुधार आया है।

स्वंय सहायता समूह गठन एवं केडिट लिकेंज परियोजना

परियोजना का कार्यक्षेत्र : बीकानेर जिले के ब्लॉक श्रीडूंगरगढ व बीकानेर

वितीय सहयोग : राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक

परियोजना प्रारम्भ : फरवरी 2013

प्रतिवेदन अवधि : अप्रेल 2015 – मार्च 2016

परियोजना परिचय :

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के वित्तीय सहयोग से बीकानेर जिले के बीकानेर व श्री डूँगरगढ़ विकासखण्ड में 300 स्वयं सहायता समूह के गठन का कार्य फरवरी 2013 से संस्था के द्वारा शुरू किया गया है। इस परियोजना के तहत नये स्वयं सहायता समूह बनाने,समूहों के बैक खाते खुलवाने व ऋण से संबद्व करने ,समूहो की ऑडिट रेटिग करना, गठित समूहो के सदस्यों के 50 प्रतिशत से अधिक के निजी खाते खुलवाने, माइक्रो इंश्योरेस/स्वावलम्बन (पेन्शन योजना) से जोडना, समूहो का पोषण, लेखा–जोखा रखने से सम्बन्धित कार्य, बहीखाता व रिकार्ड संधारण के बारे में समूह के सदस्यों व लीडर्स इत्यादि को प्रशिक्षित करना है ।

परियोजना के उद्देश्य :

- परियोजना के तहत गाव स्तर के गरीब, जरूरतमंद व आर्थिक रूप से पिछड़े परिवार की महिला,पुरूष या विकलांग व्यक्तियों का स्वयं सहायता समूह तैयार करना।
- गठित समूहों की प्रतिमाह नियमित रूप से मासिक बैठक का आयोजन व नियमित बचत करना।
- गठित समूहो को बैंको के साथ लिकेंज करना।
- सभी सदस्यो को बैकिग से जोड़कर सरकार की योजनाओ के तहत लाभान्वित करवाना।
- समूहो को केडिट लिकेंज करना व इसके माध्यम से आर्थिक रूप से मजबूत व सशक्त बनाना।
- समूहो को आयवर्धन गतिविधियों से जोडकर आत्मनिर्भरता की ओर ले जाने का प्रयास करना।

परियोजना के तहत गठित समूहो का विवरण :

क.स.	विकास खण्ड का नाम	समूहो की संख्या	सदस्य संख्या
1	बीकानेर	07	90
2	श्रीडूंगरगढ	19	183
कुल		**26**	**273**

परियोजना के तहत गठित समूहो की बचत का विवरण :

क.स.	विकास खण्ड का नाम	बचत राशि
1	बीकानेर	45,839
2	श्रीडूंगरगढ	85,700
कुल		**1,31,539**

परियोजना के तहत गठित समूहो के बैक खातों का विवरण :

क.स.	विकास खण्ड का नाम	समूहो की संख्या	बैंक खाता संख्या
1	बीकानेर	07	07
2	श्रीडूंगरगढ	15	15
कुल		**22**	**22**

परियोजना के तहत गठित समूहो को ऋण हेतु किये गये आवेदनों का विवरण :

क.स.	विकास खण्ड का नाम	समूहो की संख्या	आवेदन संख्या
1	बीकानेर	26	26
2	श्रीडूंगरगढ	25	25
कुल		**51**	**51**

समूह की नियमित मासिक बैठक :

परियोजना के तहत गठित सभी समूहों की नियमित रूप से मासिक बैठको का आयोजन किया जाता है । समूहो की इन मासिक बैठको में अब तक मुख्य रूप से निम्न विषयो/मुद्दो पर चर्चा की गई जो कि निम्न प्रकार से है :

- समूह की नियमित बैठक व मासिक बचत के बारे में जानकारी व चर्चा।
- सरकारी योजनाओं की जानकारी।
- समूह के पदाधिकारियो व सदस्यो की जिम्मेदारी ,कर्तव्य एवं उतरदायित्व के बारे में चर्चा।
- बैंक में खाता खुलवाने के बारे में जानकारी व चर्चा।
- आपसी लेनदेन एवं उसकी प्रक्रिया के बारे में जानकारी व चर्चा।
- समूह का रिकार्ड रखना एवं रिकार्ड संधारण के बारे में जानकारी।
- पशु स्वास्थ्य शिविर एवं टीकाकरण के बारे में जानकारी एवं चर्चा।
- मौसमी बीमारियों के बारे मे जानकारी एवं विचार विमर्श।
- परियोजना के तहत आयोजित किये जाने वाले प्रशिक्षणों के बारे में जानकारी एवं चर्चा।
- बैंक से लेनदेन व बैंक से ऋण लेने की प्रक्रिया के बारे में जानकारी एवं चर्चा।
- बैंक से ऋण उपयोग एवं बैंक की किश्ते समय पर जमा करवाने के बारे में चर्चा।
- समूह की मजबूती के बारे में विचार विमर्श।
- सदस्यों की व्यक्तिगत बचत के बारे में जानकारी एवं चर्चा।

महिला सुरक्षा एवं सलाह केन्द्र

परियोजना का कार्यक्षेत्र : श्रीगंगानगर

वित्तीय सहयोग : महिला एवं बाल विकास विभाग ,राजस्थान सरकार

प्रतिवेदन अवधि : अप्रेल 2015–मार्च 2016

प्रदेश में महिला उत्पीड़न के बढ़ते मामलों की रोकथाम और महिलाओं को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए राजस्थान सरकार द्वारा स्वैच्छिक संस्थाओं के सहयोग से महिला सुरक्षा एवं सलाह केन्द्रों का संचालन किया जा रहा है। इसके तहत श्रीगंगानगर में उरमूल के द्वारा महिला सुरक्षा एवं सलाह केन्द्र का संचालन किया जा रहा है ।

महिला सुरक्षा एवं सलाह केन्द्र की मुख्य सेवाएं:

- पीडित महिला एवं अन्य सम्बन्धित व्यक्तियों के साथ विचार–विमर्श से समस्या का आकलन और समाधान करवाना।
- महिला की इच्छा पर सम्बन्धित प्रकरण में एफ.आई.आर दर्ज करवाना।
- जिला महिला सहायता समिति के माध्यम से महिला को उपयुक्त सहायता दिलवाना।
- घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 के अन्तर्गत न्यायालय द्वारा पारित आदेश के पालन में सहयोग करना। जहॉ किसी प्रत्यर्थी के लिए न्यायालय के द्वारा पारित संरक्षण आदेश की अवहेलना करे वहॉ प्रत्यर्थी के विरूद्ध पुलिस के माध्यम से कार्यवाही करवाना ।
- चिकित्सा अथवा चिकित्सा प्रमाण पत्र हेतु सम्बन्धित अस्पताल को संदर्भित करना ।
- जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से निःशुल्क विधिक सेवाएं उपलब्ध करवाना ।
- अधिसूचित आश्रय गृह में प्रवेश दिलवाना।स्थानीय स्तर पर आश्रय गृह उपलब्ध नहीं होने पर आपात स्थिति में अस्थायी परन्तु सुरक्षित आश्रय की व्यवस्था करवाना ।
- आकस्मिक व आपात स्थिति में पुलिस और संरक्षण अधिकारी के सहयोग से महिला के लिए सुरक्षा की व्यवस्था करवाना।
- महिला सुरक्षा एवं सलाह केन्द्र पर आने वाली प्रत्येक महिला प्रार्थी से वार्ता की गोपनीयता का को बनाये व ध्यान रखना।

श्रीगंगानगर केन्द्र : श्रीगंगानगर शहर के पुलिस थाना परिसर में इस केन्द्र का संचालन किया जा रहा है। इस केन्द्र पर माह अप्रेल 2015 से मार्च 2016 तक कुल 185 घरेलू हिंसा से उत्पीडित महिलाओं को सलाह सहयोग व मार्गदर्शन किया गया है। जिसका विवरण निम्न प्रकार है :

गतिविधि	अप्रेल 2015–मार्च 2016 **तक प्रकरण संख्या**
व्यथित महिला को व्यक्तिगत सलाह ,मार्गदर्शन ,परामर्श	185
पारिवारीक सलाह ,मार्गदर्शन ,परामर्श	53
व्यथित महिला को उसके अधिकारों की जानकारी देना	185
कानूनी सलाह	25
एफ.आई.आर. दर्ज करवाने में सहयोग	06
वैवाहिक घर में रहने के व्यथित महिला के अधिकारों का संरक्षण	02
हिंसा मुक्त समाज बनाने के लिए की गई विचार गोष्ठियां ,कार्यशाला	04
मेडिकल मुआयना करवाने में सहयोग	01
निराश्रय की अवस्था में आश्रय गृह में प्रवेश दिलाने में सहयोग/मार्गदर्शन	01
व्यथित महिला के बच्चों की अभिरक्षा में सहयोग	00
स्त्री धन वापसी में सहयोग	00
घरेलू हिंसा प्रकरणों में व्यथित महिला को घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत उचित सलाह ,मार्गदर्शन एवं सहायता	01
घरेलू घटना रिपोर्ट बनाने और न्यायालय में प्रस्तुत करने में सहयोग	00
दहेज प्रकरण में उचित कार्यवाही में सहयोग	03
पारिवारिक विघटन एवं तलाक जैसी परिस्थितियों में उचित मार्गदर्शन	08

श्रीगंगानगर : केन्द्र के तहत आयोजित गतिविधि व बैठकों का विवरण :

गतिविधियां व बैठक :

श्रीगंगानगर केन्द्र में कार्यरत सलाहकारो के द्वारा अप्रेल 2015 से मार्च 2016 तक जिले के विभिन्न क्षेत्रों में गतिविधियो व बैठको का आयोजन किया गया। जिसका विवरण इस प्रकार से है :

क.स.	कार्यक्रम	कार्यक्रम स्थल	उपस्थित संभागी विवरण		
			महिला	पुरूष	योग
1.	बेटी बचाओ कार्यक्रम	आई.एम.ए.हाऊस	35	50	85
2.	प्रचार प्रसार कार्यक्रम	ग्राम पंचायत, नेतेवाला	15	05	20
3.	प्रचार प्रसार कार्यक्रम	ग्राम पंचायत, दौलतपुरा	20	07	27
4.	प्रचार प्रसार कार्यक्रम	ग्राम पंचायत, 9 जेड	20	05	25
5.	प्रचार प्रसार कार्यक्रम	ग्राम पंचायत, 10 जेड	15	08	23
6.	राष्ट्रीय बालिका दिवस	ग्राम पंचातय, चक महारजका	30	15	45
कुल			**135**	**90**	**225**

मॉडल फार्म विकास एवं टिकाऊ खेती प्रशिक्षण कार्यक्रम

कार्यक्रम का कार्यक्षेत्र : कोलायत, ब्लॉक, जिला–बीकानेर

परियोजना प्रारम्भ : अप्रेल 2016

वितीय सहयोग : कैफ (CAF)

परियोजना प्रतिवेदन अवधि : अप्रेल 2016

मॉडल फार्म विकास एवं टिकाऊ खेती के लिए किसानो को प्रशिक्षित करने के उददेश्य से उरमूल ट्रस्ट, बीकानेर के द्वारा कैफ के वितीय सहयोग से कार्यक्रम का संचालन बीकानेर जिले के कोलायत ब्लॉक में किया जा रहा है।

संस्था के द्वारा अप्रेल 2016 से इस कार्यक्रम का संचालन बीकानेर जिले के ब्लॉक कोलायत के 15 गांवो में किया जा रहा है।

कार्यक्रम के उद्देश्य :

- मॉडल फार्म तैयार एवं विकसित करना।
- वर्षा जल संरक्षण एवं सोलर ग्रिड की स्थापना करना।
- 500 किसानों को टिकाऊ एवं जैविक खेती के लिए प्रशिक्षित करना।
- जैविक एवं टिकाऊ खेती की व्यवहारिक जानकारी के लिए किसानो का भ्रमण करवाना।
- प्रशिक्षण के उपरान्त फार्म फिल्ड पर किसानो को व्यवहारिक रूप से जैविक एवं टिकाऊ खेती करने के लिए प्रशिक्षित करना।
- जैविक खेती के लिए किसानों को मानसिक रूप से तैयार करके जैविक खेती करने के लिए प्रोत्साहित करना।

गांवो एवं किसानो चयन :

कार्यक्रम संचालित करने के लिए कोलायत ब्लॉक के 15 गांवो का चयन करके 4 कलस्टर में विभाजित किया गया। जिसका विवरण निम्न प्रकार से है :

क.स.	कलस्टर का नाम	गांवों की संख्या	चिन्हित किसानों की संख्या
1	चारणवाला	08	150
2	छिला कश्मीर	02	100
3	बज्जू	02	100
4	गिराजसर	03	150
	कुल	**15**	**500**

उषा सिलाई स्कूल कार्यक्रम

कार्यक्रम का कार्यक्षेत्र : बीकानेर, बासवाडा, जैसलमेर, करौली, जोधपुर बाडमेर, नागौर, श्रीगंगानगर एंव हनुमानगढ

परियोजना प्रारम्भ : मार्च 2012

वितीय सहयोग : उषा इन्टरनेशनल

परियोजना प्रतिवेदन अवधि : अप्रेल 2015–मार्च 2016

कार्यक्रम के उद्देश्य :

- सिलाई प्रशिक्षण के लिए संदर्भ व्यक्तियों की पहचान व प्रशिक्षण करवाना।
- ग्रामीण क्षेत्र में सिलाई के कार्य में रूचि रखने वाली महिलाओं की पहचान।
- ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को सिलाई कार्य के लिए प्रशिक्षण करवाना।
- प्रशिक्षण में प्रशिक्षित महिलाओं को नि : शुल्क सिलाई मशीन उपलब्ध करवाना।
- प्रशिक्षित महिलाओं को गांव में सिलाई स्कूल चलाने के लिए तैयार करना।
- सिलाई स्कूल में आने वाली महिलाओं व बालिकाओं की पहचान करके सूची तैयार करना।
- प्रशिक्षित महिलाओं के माध्यम से गांवो में सिलाई स्कूल का संचालन करना।
- गांवो में संचालित स्कूल की नियमित रूप से मॉनिटरिग व प्रबन्धन करना।

सिलाई स्कूल संचालन का विवरण :

क.स.	विवरण	सिलाई स्कूलों की संख्या
1.	कोलायत, बीकानेर	19
2.	श्रीडूंगरगढ, बीकानेर	11
3.	लूणकरणसर, बीकानेर	05
4.	बीकानेर	05
5.	पोकरण, जैसलमेर	20
6.	श्रीगंगानगर	15
7.	हनुमानगढ	20
8.	नागौर	10
9.	बासवाडा	10
10.	जोधपुर	20
11.	करौली	10
12.	बाडमेर	10
	कुल	**140**

उपरोक्त विवरण के अनुसार 140 ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को गांवो में सिलाई स्कूल चलाने के लिए प्रशिक्षित किया गया। ये प्रशिक्षित सभी महिलाएं अपने अपने गांवो में सिलाई स्कूल का संचालन नियमित रूप से कर रही है। जिनका प्रबन्धन व मॉनिटरिग भी नियमित रूप से संस्था के कार्यकर्ताओं के द्वारा किया जा रहा है। वर्तमान में उपरोक्त विवरण के मुताबिक संचालित 140 स्कूलों के माध्यम से 2661 बालिकाओं व महिलाओं को सिलाई का प्रशिक्षण गांव स्तर पर दिया जा रहा है। इन 140 सिलाई स्कूलों का संचालन राज्य के 9 जिलो में उरमूल ट्रस्ट की सहयोगी संस्थाओं के माध्यम से किया जा रहा है।

सेटेलाइट सिलाई स्कूल संचालन का विवरण :

पूर्व में संचालित सिलाई स्कूल के आसपास के गांवो में सेटेलाइट सिलाई स्कूल का संचालन राज्य के 9 जिलों में संस्था के द्वारा नियमित रूप से किया जा रहा है। जिसका विवरण निम्न प्रकार से है :

क.स.	विवरण	सेटेलाइट स्कूलों की संख्या
1.	कोलायत, बीकानेर	18
2.	श्रीडूंगरगढ, बीकानेर	13
3.	लूणकरणसर, बीकानेर	16
4.	बीकानेर	15
5.	पोकरण, जैसलमेर	47
6.	श्रीगंगानगर	77
7.	हनुमानगढ	75
8.	नागौर	38
9.	बासवाडा	32
10.	जोधपुर	52
11.	करौली	30
	कुल	**413**

वर्तमान में उपरोक्त विवरण के मुताबिक संचालित 413 सेटेलाइट सिलाई स्कूलों के माध्यम से बालिकाओं व महिलाओं को सिलाई का प्रशिक्षण गांव स्तर पर दिया जा रहा है। इन 413 सेटेलाइट सिलाई स्कूलों का संचालन राज्य के 09 जिलो में उरमूल ट्रस्ट की सहयोगी संस्थाओं के माध्यम से किया जा रहा है।

उषा सिलाई स्कूल के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओ को स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध करवाना और उनकी आजीविका को बढाने के साथ साथ गाव स्तर बालिकाओं और महिलाओ को सिलाई के लिए प्रशिक्षण देकर नये रोजगार उपलबध करवाने के लक्ष्य को लेकर उरमूल के द्वारा परियोजना का संचालन नियमित रूप से किया जा रहा है।

थार मरूस्थल में बाल विवाह रोकने के लिए अभियान

परियोजना का कार्यक्षेत्र : बीकानेर

वितीय सहयोग : ग्लोबल गिविग

परियोजना प्रारम्भ : जनवरी 2015

प्रतिवेदन अवधि : अप्रेल 2015–मार्च 2016

प्रदेश में व्याप्त बाल विवाह जैसी प्रथा को जड़ से समाप्त करने के उद्देश्य से उरमूल ट्रस्ट ,बीकानेर और ग्लोबल गिविंग के द्वारा संयुक्त रूप से थार मरूस्थल में बाल विवाह रोकने के लिए अभियान परियोजना का संचालन बीकानेर जिले में किया जा रहा है।

संस्था के द्वारा. जनवरी 2015 से थार मरूस्थल में बाल विवाह रोकने के लिए अभियान परियोजना का संचालन बीकानेर जिले के 30 गांवों में किया जा रहा है।

परियोजना का उद्देश्य :

1. समजा में व्याप्त बाल विवाह प्रथा का रोकथाम व समाप्त करना।
2. जन समुदाय को बाल विवाह से होने वाले नुकसान व असर के बारे में जानकारी देकर जागृति लाना।
3. क्षेत्र के युवक और युवतियों को बाल विवाह प्रथा को समाप्त करने के लिए तैयार करना।
4. क्षेत्र में बाल विवाह हुएं परिवारो का चयन और उनकी केस स्टेडी तैयार करना।
5. क्षेत्र के पंचायती राज संस्थाओं के सदस्यों को बाल विवाह से होने वाले दुष्परिणामों को मिटाने के लिए प्रशिक्षण देना।
6. क्षेत्र की ग्राम स्वास्थ्य एंव स्वच्छता समिति के सदस्यों को बाल विवाह की रोकथाम एवं समाप्त करने के लिए प्रशिक्षण देना।
7. क्षेत्र के धर्मगुरूओं ,समाज के मौजिज व्यक्तियों का बाल विवाह रोकथाम व समाप्त करने हेतु प्रशिक्षण करना।
8. क्षेत्र के गांवो के ग्रामीणों में जागृति लाकर उनकी स्व–प्रेरणा से बाल विवाह मुक्त गांव बनाना।
9. क्षेत्र के युवाओ को संगठित करके उन्हे प्रशिक्षण देना।
10. 70 प्रतिशत गांवो को बाल विवाह मुक्त गांव बनाना।
11. विवाह पंजीकरण सुनिश्चित करना।
12. शिक्षा से वंचित बालक–बालिकाओं को शतप्रतिशत शाला में नामांकित करवाना।
13. बालिकाओं को सरकारी योजनाओं से जोडना।

परियोजना के तहत आयोजित की गई गतिविधियों का विवरण निम्न प्रकार से है :

किशोरी जीवन कौशल प्रशिक्षण :

परियोजना क्षेत्र के गांवो में किशोरियों को जीवन कौषल प्रशिक्षण एवं बाल विवाह से होने वाले नुकसान व असर पर समझ विकसित व मजबूत करने के लिए दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इन प्रशिक्षणों के दौरान किशोरियों के साथ संस्था द्वारा गांवो में किये गये सर्वे को शेयर किया गया और बाल विवाह रोकने के विभिन्न संभावित प्रयासों पर चर्चा की गई। प्रशिक्षण में सम्भागियों का विवरण निम्न प्रकार से है :

क.स.	जिले का नाम	सम्भागियों का विवरण		
		महिला	पुरूष	कुल
1.	बीकानेर	1634	00	1634
कुल		**1634**	**00**	**1634**

विधालय प्रबन्धन समिति सदस्यों का आमुखीकरण :

परियोजना क्षेत्र के समस्त विधालय प्रबन्धन समिति सदस्यों का बाल विवाह की रोकथाम व समाप्ति के मुद्दों पर आमुखीकरण किया गया। इस आमुखीकरण कार्यक्रम के दौरान समस्त सदस्यों को बाल विवाह से समाज पर पडने वाले प्रभावों के बारे में समझाने के साथ ही गांव में विधालय से छूटे हुएं बच्चों को जोडने के प्रयासों पर चर्चा की गई। आमुखीकरण में भागीदारी का विवरण निम्न प्रकार से है :

क.स.	जिले का नाम	सम्भागियों का विवरण		
		महिला	पुरूष	कुल
1.	बीकानेर	970	1069	2039
कुल		**970**	**1069**	**2039**

पंचायतीराज सदस्यों का प्रशिक्षण :

परियोजना क्षेत्र के गांवो में जिले के पंचायतीराज सदस्यों सरपंच, उपसरपंच एवं वार्ड पंचों के लिए एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान पंचायतीराज के सदस्यों को बाल विवाह से नुकसान व समाज पर पडने वाले कुप्रभावों पर चर्चा की गई। कार्यक्रम के दौरान सदस्यों को अपने गांव व ग्राम पंचायत को बाल विवाह मुक्त करवाने के सम्भावित प्रयासों पर चर्चा की गई। इस दौरान पंचायतीराज जनप्रतिनिधियों को अपने अपने क्षेत्र में होने वाले बाल विवाह को रूकवाने के लिए शपथ भी दिलवाई गई।

क.स.	जिले का नाम	सम्भागियों का विवरण		
		महिला	पुरूष	कुल
1.	बीकानेर	381	441	822
कुल		**381**	**441**	**822**

ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति सदस्यों का प्रशिक्षण :

परियोजना क्षेत्र के गांवो में समस्त ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति सदस्यों के लिए एक दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान सदस्यों को बाल विवाह से शारीरिक और मानसिक स्तर पर पडने वाले कुप्रभावों पर चर्चा की गई। इसके साथ ही बाल विवाह से भारत में बढने वाली मातृ मृत्यु और शिशु मृत्यु दर के आंकडों को शेयर किया गया। कार्यक्रम के दौरान सभी सदस्यों को अपने अपने क्षेत्र में बाल विवाह ने होने देने की शपथ दिलवाई गई। कार्यक्रम में सम्भागियों का विवरण निम्न प्रकार से है :

क.स.	जिले का नाम	सम्भागियों का संख्या
1.	बीकानेर	203
कुल		**203**

धर्म गुरूओं व समाज के मौजीज व्यक्तियों का प्रशिक्षण :

परियोजना क्षेत्र के गांवो में बाल विवाह की प्रभावी रोकथाम व समाप्ति हेतु धर्म गुरूओं एवं समाज के मौजीज व्यक्तियों के लिए एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में विभिन्न समुदायों जिसमें बाल विवाह ज्यादा होते है के धर्म गुरूओं एवं समाज के मौजीज व्यक्तियों को आंमत्रित किया गया। उनके साथ बाल विवाह के आंकडों को शेयर करने के साथ ही बाल विवाह से समाज व पारिवारिक स्तर पर पडने वाले कुप्रभावों व प्रतिषेध अधिनियम 2006 के प्रावधानों पर चर्चा की गई। सम्भागियों का विवरण निम्न प्रकार से है :

क.स.	जिले का नाम	सम्भागियों का विवरण		
		महिला	पुरूष	कुल
1.	बीकानेर	145	456	601
कुल		**145**	**456**	**601**

बाल विवाह मुक्त गांवो की फोलोअप बैठकों का आयोजन :

परियोजना क्षेत्र में बाल विवाह की प्रभावी रोकथाम व आमजन में बाल विवाह के कुप्रभावों के प्रति समझ विकसित करने एवं निगरानी के लिए गांव स्तर पर युवाओं, जनप्रतिनिधियों, फ्रंट लाइन कार्यकर्ता, जातिगत लीडरों के साथ बैठकों का आयोजन किया गया। इन बैठकों के दौरान बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006, नि : शुल्क शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2012 एवं पाक्सों अधिनियम के बारे में जानकारी दी गई एवं गांवो में बाल विवाह को रोकने हेतु चेतना टीमों का गठन किया गया। बैठकों के सम्भागियों का विवरण निम्न प्रकार से है :

क.स.	जिले का नाम	सम्भागियों का संख्या
1.	बीकानेर	15
कुल		**15**

युवा प्रशिक्षण :

परियोजना क्षेत्र में बाल विवाह की प्रभावी रोकथाम एवं आगजन में बाल विवाह के कुप्रभावों के प्रति समझ विकसित करने के लिए जिला स्तर पर युवाओं के लिए दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों के दौरान युवाओं को बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006, नि : शुल्क शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2012 एवं पाक्सो अधिनियम के बारे में जानकारी दी गई। इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों के दौरान गावों में बाल विवाह को रोकने हेतु चेतना टीमों का गठन भी किया गया। कार्यक्रम के अन्त में सभी सम्भागियों को बाल विवाह को रोकने हेतु शपथ दिलवाई गई। प्रशिक्षण के सम्भागियों का विवरण निम्न प्रकार से है :

क.स.	जिले का नाम	सम्भागियों का संख्या
1.	बीकानेर	1302
कुल		**1302**

स्वंय सहायता समूहों की बैठकों में सहभागिता :

परियोजना क्षेत्र में उरमूल के द्वारा बनाये गये स्वंय सहायता समूहों की बैठकों में सहभागिता करके बाल विवाह की प्रभावी रोकथाम एवं आमजन में बाल विवाह के कुप्रभावों के प्रति समझ विकसित करने के साथ ही बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006, नि : शुल्क शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2012 एवं पाक्सो अधिनियम के बारे में जानकारी दी गई। सम्भागियों का विवरण निम्न प्रकार से है :

क.स.	जिले का नाम	सम्भागियों का संख्या
1.	बीकानेर	644
कुल		**644**

बाल क्लबों का गठन :

परियोजना क्षेत्र में बाल विवाह की प्रभावी रोकथाम एवं आगजन में बाल विवाह के कुप्रभावों के प्रति समझ विकसित करने के लिए गांव स्तरीय बाल क्लबों का गठन किया गया। जिसका विवरण निम्न प्रकार से है :

क.स.	जिले का नाम	बाल क्लब सदस्य संख्या
1.	बीकानेर	250
कुल		**250**

बाल विवाह के विरूद्व किशोरी बालिकाओं का सशक्तिकरण

परियोजना का कार्यक्षेत्र : बीकानेर
वितीय सहयोग : कैटापोल्ट

परियोजना प्रारम्भ : सितम्बर 2014

प्रतिवेदन अवधि : अप्रेल 2015–मार्च 2016

प्रदेश में व्याप्त बाल विवाह जैसी प्रथा को जड़ से समाप्त करने एवं किशोरी बालिकाओं के सशक्तिकरण के उद्देश्य से उरमूल ट्रस्ट ,बीकानेर और कैटापोल्ट के द्वारा संयुक्त रूप से बाल विवाह के विरूद्व किशोरी बालिकाओं का सशक्तिकरण परियोजना का संचालन बीकानेर जिले के श्रीडूंगरगढ ब्लॉक में किया जा रहा है।

संस्था के द्वारा. सितम्बर 2014 से इस परियोजना का संचालन बीकानेर जिले के श्रीडूंगरगढ ब्लांक की 03 ग्राम पंचायतों के 06 गांवों में किया जा रहा है।

परियोजना का उद्देश्य :

1. किशोरी बालिकाओं के समूह बनाकर संगठित करना।
2. समाज में किशोरी बालिकाओं को स्थापित करना एवं जीवन कौशल प्रशिक्षण देना।
3. खेलों के माध्यम से किशोरी बालिकाओं का मानसिक व बौद्विक विकास करना।
4. सबला योजना से जुडी किशोरी बालिकाओं को शाला से जोडना।
5. किशोरी बालिकाओं को सरकारी योजनाओं से जोडना।
6. किशोरी बालिकाओं को बाल विवाह के बारे में जानकारी देकर जागृत करना।
7. विवाह पंजीकरण सुनिश्चित करवाना।
8. बाल विवाह जैसी कुप्रथा के खिलाफ समाज में माहौल तैयार करने हेतु किशोरी बालिकाओं को तैयार करके सशक्त बनाना।

परियोजना के तहत आयोजित की गई गतिविधियों का विवरण निम्न प्रकार से है :

किशोरी बालिका समूहों का गठन :

परियोजना क्षेत्र की 03 ग्राम पंचायतों में समाज में किशोरी बालिकाओं को स्थापित करने के लिए संगठित करने के उददेश्य को लेकर किशारी बालिका समूहों का गठन किया गया। जिसका विवरण निम्न प्रकार से है :

क.स.	ग्राम पंचायत का नाम	किशोरी बालिका सदस्य संख्या
1.	बेनीसर	97
2.	ठुकरियासर	55
3.	सुरजनसर	104
कुल		**256**

किशोरी बालिका जीवन कौशल प्रशिक्षण :

परियोजना क्षेत्र के गांवो में किशारी बालिका जीवन कौशल प्रशिक्षणों का आयोजन किया गया। इन प्रशिक्षणों में बाल विवाह से होने वाले नुकसान व असर पर समझ विकसित व मजबूत के लिए संस्था के द्वारा गांवों में किये गये सर्वे को शेयर करने के साथ ही बाल विवाह रोकने के विभिन्न सम्भावित प्रयासों पर चर्चा की गई तथा बाल विवाह प्रतिषेघ अधिनियम 2006, नि : शुल्क अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2012 तथा पाक्सों अधिनियम के बारे में जानकारी दी गई। प्रशिक्षण में भागीदारी का विवरण निम्न प्रकार से है :

क.स.	ग्राम पंचायत का नाम	सम्भागी संख्या
1.	बेनीसर	91
2.	ठुकरियासर	73
3.	सुरजनसर	94
कुल		**258**

विधालय प्रबन्धन समिति सदस्यों की बैठके:

परियोजना क्षेत्र के गांवो की समस्त विधालय प्रबन्धन समिति सदस्यों को बाल विवाह रोकथाम एवं समाप्ति के मुद्दों पर चर्चा करके जानकारी दी गई। बैठकों में बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 एवं नि : शुल्क शिक्षा के अधिकार अधिनियम के बारे में विस्तार से जानकारी देकर इनके प्रावधानों के बारे में बताया गया। शिक्षा से वंचित बालिकाओं को शिक्षा से जोडने के प्रयासों पर भी चर्चा एवं विचार विमर्श किया गया। बैठकों में भागीदारी का विवरण निम्न प्रकार से है :

क.स.	ग्राम पंचायत का नाम	सम्भागी संख्या
1.	बेनीसर	42
2.	ठुकरियासर	29
3.	सुरजनसर	44
कुल		**105**

पंचायतीराज सदस्यों की बैठके:

परियोजना क्षेत्र के गांवो की समस्त जनप्रतिनिधियों को बाल विवाह रोकथाम एवं समाप्ति के मुद्दों पर चर्चा करके जानकारी दी गई। बैठकों में बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 एवं नि : शुल्क शिक्षा के अधिकार अधिनियम के बारे में विस्तार से जानकारी देकर इनके प्रावधानों के बारे में बताया गया। शिक्षा से वंचित बालिकाओं को शिक्षा से जोडने के प्रयासों पर भी चर्चा एवं विचार विमर्श किया गया। बैठकों में भागीदारी का विवरण निम्न प्रकार से है :

क.स.	ग्राम पंचायत का नाम	सम्भागी संख्या
1.	बेनीसर	91
2.	ठुकरियासर	73
3.	सुरजनसर	94
कुल		**258**

पशुपालन व महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा रेगिस्तान में स्थाई सामुदायिक विकास परियोजना

परियोजना का कार्यक्षेत्र : विकास खण्ड, श्रीडूंगरगढ, जिला, बीकानेर
वित्तीय सहयोग : हाईफर इन्टरनेशनल इण्डिया

परियोजना प्रारम्भ : जनवरी 2011

प्रतिवेदन अवधि : अप्रेल 2015–मार्च 2016

संस्था के द्वारा. जनवरी 2011 से इस परियोजना का संचालन बीकानेर जिले के श्रीडूंगरगढ के 20 गांवों में किया जा रहा है। परियोजना के तहत गांवो में केवल महिलाओं के समूह ही निर्धारित प्रक्रिया के तहत गठित किये गये है।

परियोजना के तहत गठित समूहों का विवरण :

क.स.	विवरण	ओ.जी.समूह व सदस्य संख्या	पी.ओ.जी.समूह व सदस्य संख्या	कुल समूह व सदस्य संख्या
1.	समूह संख्या	18	44	62
2.	सदस्य संख्या	360	722	1082

ओ.जी.समूह : संस्था और समुदाय द्वारा चयन कर गठित किये गये समूह। जिनके साथ परियोजना की शुरूआत की गई।
पी.ओ.जी.समूह : ओ.जी.समूह द्वारा महिलाओं का चयन कर गठित किये गये समूह।

परियोजना के तहत गठित समूहों में जातिवार सदस्यों का विवरण :

क.स.	विवरण	ओ.जी.समूह सदस्य संख्या	पी.ओ.जी.समूह सदस्य संख्या	कुल समूह सदस्य संख्या
1.	अनुसूचित जाति	266	623	889
2.	अनुसूचित जनजाति	00	00	00
3.	अन्य पिछडा वर्ग	78	93	171
4.	सामान्य वर्ग	16	06	22
कुल		**360**	**722**	**1082**

परियोजना के तहत गठित समूहों के पास वर्तमान में उपलब्ध बकरियों का विवरण :

परियोजना के तहत गठित 18 ओ.जी.समूह एवं 44 पी.ओ.जी.समूह को कुल 2164 बकरियों का वितरण किया गया था। वर्तमान में समूहों के पास उपलब्ध बेरियों का विवरण निम्न प्रकार से है :

वर्तमान में समूह के पास उपलब्ध बकरी	वर्तमान में समूह के पास उपलब्ध बकरी के बच्चे	कुल	बकरी के बच्चे बेचने से समूह के सदस्यों की आय
4608	1928	6536	62,91,000

परियोजना के तहत गठित समूहों की बचत का विवरण :

क.स.	विवरण	बचत (रूपये में)
1.	ओ.जी.समूह	8,07,600
2.	पी.ओ.जी.समूह	9,87,200
कुल		**17,85,800**

परियोजना के तहत आयोजित प्रशिक्षणों का विवरण :

- **समूह प्रबन्धन प्रशिक्षण :**

क.स.	विवरण	सम्भागी
1.	समूह प्रबन्धन प्रशिक्षण	167
कुल		**167**

- **आधारशिला प्रशिक्षण :**

क.स.	विवरण	सम्भागी
1.	आधारशिला प्रशिक्षण	173
कुल		**173**

- **उन्नत पशु प्रबन्धन प्रशिक्षण :**

क.स.	विवरण	सम्भागी
1.	उन्नत पशु प्रबन्धन प्रशिक्षण	204
कुल		**204**

- **किचन गार्डनिग प्रशिक्षण :**

क.स.	विवरण	सम्भागी
1.	किचन गार्डनिग प्रशिक्षण	349
कुल		**349**

- **जेण्डर प्रशिक्षण :**

क.स.	विवरण	सम्भागी
1.	जेण्डर प्रशिक्षण	361
कुल		**361**

- **पोषण एवं व्यक्तिगत स्वच्छता प्रशिक्षण :**

क.स.	विवरण	सम्भागी
1.	पोषण एवं व्यक्तिगत स्वच्छता प्रशिक्षण	379
कुल		**379**

- **धुंआ रहित चूल्हा निर्माण प्रशिक्षण :**

क.स.	विवरण	सम्भागी
1.	धुंआ रहित चूल्हा निर्माण प्रशिक्षण	219
कुल		**219**

परियोजना के तहत किये गये कार्यो का विवरण :

पशु स्वास्थ्य शिविर का आयोजन: परियोजना के तहत नियोजन के मुताबिक हर तिमाही में परियोजना क्षेत्र के गांवों में जरूरत के मुताबिक पशु स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जाता है। इन शिविरों में ज्यादातर सभी प्रकार के पशु आते है। इस वर्ष आयोजित शिविरों में 5792 पशुओं का उपचार किया गया। जिसमें मुख्य रूप से डी–वर्मिग, टीकाकरण इत्यादि का कार्य किया गया।

परियोजना प्रबन्धन समिति : परियोजना के तहत 16 ओ.जी.समूह एवं 44 पी.ओ.जी.समूहों को मिलाकर परियोजना प्रबन्धन समिति गठित की गई है। जिसमें प्रत्येक समूह से 01 सदस्य का चयन समूह के सदस्यों के द्वारा आपसी सहमति से किया गया। परियोजना प्रबन्धन समिति की हर माह मासिक बैठक आयोजित की जाती है। परियोजना प्रबन्धन समिति का मुख्य कार्य गठित समूहों व गतिविधियों को सही ढंग, समय पर गुणवता के साथ संचालित करना है। वर्तमान में समिति के पास 10 लाख 62 हजार 300 रूपये की राशि गतिविधियों के संचालन के लिए उपलब्ध है।

वर्षा जल संरक्षण कुण्ड निर्माण : परियोजना के तहत वर्ष 2015–2016 में 158 परिवारों के लिए वर्षा जल संरक्षण कुण्डों का निर्माण किया गया। इन जल कुण्ड के निर्माण का मुख्य ध्येय वर्षाति जल का संचयन करना है ताकि क्षेत्र के गांवो में जल समस्या के समाधन में सहयोग मिल पाएं।

वर्षा जल संरक्षण कुण्ड को घर की छत से जोडना: परियोजना के तहत वर्ष 2015–2016 में 150 परिवारों के लिए वर्षा जल संरक्षण कुण्डों को घरों की छत से जोडा गया। इन जल कुण्ड के घर की छत से जोडने का मुख्य ध्येय वर्षाति जल का संचयन करना है ताकि क्षेत्र के गांवो में जल समस्या के समाधन में सहयोग मिल पाएं।

धुंआ रहित चूल्हे का निर्माण: परियोजना के तहत वर्ष 2015–2016 में 244 परिवारों के लिए धुंआ रहित चूल्हों का निर्माण किया गया। इन चूल्हों के निर्माण का मुख्य ध्यये धुएं से बचाव एवं ईधन की बचत करने की आदत को विकसित करके समस्या के समाधान का प्रयास समुदाय में शुरू करवाना है।

किचन गार्डनिग हेतु सब्जी के बीज वितरण: परियोजना के तहत वर्ष 2015–2016 में 784 परिवारों को किचन गार्डनिग हेतु बिज का वितरण किया गया। इसका मुख्य उददेश्य था कि परियोजना से जुडे परिवारों में किचन गार्डनिग की आदत को विकसित करने एवं हरी सब्जी की परिवार के लिए उपलब्धता को सुनिश्चिता करना है।

शौचालय निर्माण : परियोजना के तहत वर्ष 2015–2016 में 137 परिवारों के लिए शौचालय का निर्माण किया गया। इसका मुख्य ध्येय परियोजना के तहत जुडे परिवारों में स्वच्छता एवं महिलाओं की आवश्यकता की ओर समुदाय का ध्यान आकर्षित करके इस कार्य को प्राथमिकता देने के लिए प्रोत्साहित करना।